संख्या- 151 / 2023/907/चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊःदिनांक 27 मार्च, 2023

विषय- आजादी की अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 23 जुलाई, 2022 को शहीद चन्द्रशेखर आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0-4578/सं0नि0-15(31)/2022-23 दिनांक 20 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आजादी की अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 23 जुलाई, 2022 को शहीद चन्द्रशेखर आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु रू0 1,47,843/- (रूपये एक लाख सैंतालिस हजार आठ सौ तैंतालिस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-:

(1) उक्त धनराशि आहरित कर लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) समस्त कार्यों का सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक पोस्ट आफिस मे जमा नही कीजायेगी।

(4) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृति धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, अन्य मदों हेतु कदापि व्यय नही किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद मे उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 151 /2023/907/चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in